जन्मतिथि को लेकर भी भ्रम पैदा कर रही है। एक प्रकाशक द्वारा 2004-05 के संस्करण में उनकी जन्मतिथि 30 नवम्बर 1858 तथा 2008-09 के संस्करण में 13 नवम्बर 1858 दर्शायी गयी है। छात्र किस जन्मतिथि को सही मानें?

केन्द्रीय मान्यता प्राप्त और राज्य सरकारों की मान्यता के अधीन संचालित विद्यालयों के प्रबंधकों द्वारा एनसीईआरटी की पुस्तकों की कमी का बहाना बनाकर प्राइवेट प्रकाशकों की किताबें स्कूल में पढ़ायी जाती हैं और अभिभावकों का शोषण किया जाता है।

मैं सदन के माध्यम से मांग करता हूं कि उसके ऊपर प्रभावी निगरानी रखी जाए तथा शिक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले प्रकाशकों को दंडित किया जाए।

Demand to Amend Section 304-A of Indian Penal Code in view of various tragedies caused due to negligence

श्री महेन्द्र मोहन (उत्तर प्रदेश) : महोदय, उपहार सिनेमा हाल त्रासदी पीड़ित संघ ने गत शुक्रवार, दिनांक 10 जुलाई, 2009 को राष्ट्रपति महोदया को एक ज्ञापन दिया है जिसमें यह मांग की गई है कि अगर कोई आदमी अपने कार्य से बहुत से आदमियों के जीवन को खतरे में डालता है तो इस तरह के अपराध की जांच और न्यायालिक कार्यवाही के लिए एक नया कानून होना चाहिए। यह ज्ञापन उन घटनाओं को मद्देनजर रख कर दिया गया है जिसमें मनुष्य ने अपने लालच और लापरवाही से हजारों लोंगों की जान ली। भोपाल गैस त्रासदी में 1000 लोगों की जानें गयीं, हरियाणा डबवाली में 452 आग की लपटों में झुलस कर मर गए, उपहार सिनेमा त्रासदी में 59 लोगों ने जानें गवायीं, प्राइमरी के 90 बच्चे कुम्भकोणम में आग की लपटों में समा गए और मेरठ के विक्टोरिया पार्क के मेले में 59 आदमी मर गए। ये सभी घटनाएं मैनमेड हैं, मनुष्य की गलतियों का नतीजा हैं। इन त्रासदियों से हमने कुछ नहीं सीखा और सब कुछ ज्यों का त्यों चल रहा है। इन घटनाओं के जिम्मेदार रहे कितने व्यक्तियों को सजा मिली? इस समय के कानून के अनुसार इस तरह के जुर्म करने वाले व्यक्ति पर भारतीय दंड संहिता की धारा 304-क के तहत मुकदमा चलाया जाता है जो लापरवाही से किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर लगता है। यह कानून व्यवस्था का मजाक है कि जिस व्यक्ति ने अपना पैसा बचाने और लालच के चलते सैकड़ों आदमियों की जान ली, उस पर सिर्फ लापरवाही का मुकदमा हो जिसकी सजा सिर्फ दो साल है। 1860 में बनी भारतीय दंड संहिता में इस तरह के अपराधों का कोई प्रावधान नहीं है। 304-क एक साधारण प्रावधान है जो कहीं भी लगा दिया जाता है। आवश्यकता है कि हम इस colonial कानून से बाहर आकर सोचें और इस विषय पर एक सख्त कानून बनाएं। अतः मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इस दिशा में उचित कदम उठाए और आवश्यक कार्यवाही करे।

Concern over widespread poverty and malnutrition in the country

DR. JANARDHAN WAGHMARE (Maharashtra): Sir, India aspires to be an economic world power. Despite recession and meltdown, our economy is not threatened. The Economic Survey 2008-09 paints a very rosy picture of India. But, the other side is dismal and dark. We have 260 million under-nourished people in India. They constitute 27 per cent of the world's under-nourished. About 46 per cent children under three years suffer from malnutrition. Hunger and disease are our greatest enemies.

What is the root cause of this malady? It is, of course, poverty and inequality. Poverty and inequality have been our age-old curse. They are responsible, by and large, for malnutrition,

unemployment and health problems. We have failed in providing the basic needs of life.

Small children in *adivasi* and remote areas suffer from hunger and malnutrition. The Government of India has passed the National Rural Employment Guarantee Act which ensures employment to the BPL families for one hundred days in a year. But, this is not enough. Like primary education, work also should be made compulsory. It should be a Fundamental Right.

The labour classes can hardly meet their basic needs. Can we think of an inclusive society in such a situation? Unless we generate employment in rural sector, we cannot give justice to the poor people. It is said that India is the richest nation of the poorest of the poor. It should be a welfare nation and we have to take care of that. Thank you, Sir.

SARDAR TARLOCHAN SINGH (Haryana): Sir, I associate myself with the Special Mention made by Dr. Janardhan Waghimare.

Demand to give dalit muslims the status of scheduled castes

डा. ऐजाज़ अली (बिहार) : महोदय, दलित मुसलमानों अरज़ाल को अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग गत डेढ़ दशक से की जा रही है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार अरज़ाल मुस्लिमों की जनसंख्या का लगभग 0.8 प्रतिशत है। इस समुदाय की शैक्षिक, आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति अत्यंत दयनीय है। यद्यपि 1936 से 1950 तक इसाई समुदाय को छोड़ बाकी सभी धर्म में दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा हासिल था। राष्ट्रपति आदेश 1950 द्वारा इसे केवल हिन्दू-दलितों के लिए सीमित कर दिया गया और मुस्लिम, सिख तथा बौद्ध धर्मों के दलितों को इस दर्जे से वंचित कर दिया गया। दलित मुस्लिम (अरज़ाल) को अनुसूचित जाति में शामिल करने की संस्तुति सच्चर कमेटी के अतिरिक्त रंगनाथ मिश्र आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एवं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने भी की है। ज्ञात हो कि 1950 के प्रेसीडेंशियल आर्डर में बाद में दो बार संशोधन किया गया है, जिसके द्वारा 1956 में सिख दलितों को एवं 1990 में नवबुद्धिष्ट को अनुसूचित जाति में दोबारा शामिल कर लिया गया। परन्तु दलित मुस्लिम (अरज़ाल) को आज तक शामिल नहीं किया गया है, जबकि 1950 के पहले सिख एवं बौद्ध की तरह वे भी अनुसूचित जाति में शामिल थे। महोदय, दलित मुस्लिमों को अनुसूचित जाति में रखने का प्रश्न केन्द्रीय काबीना में विचाराधीन है। सभी प्रमुख संवैधानिक निकायों ने अरज़ाल को अनुसूचित जाति में रखने की सिफारिश की है। फिर भी इस पर कोई निर्णय नहीं हो पा रहा है।

महोदय, मेरा सरकार से निवेदन है कि दलित मुसलमान (अरज़ाल) को अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए केन्द्र सरकार प्रेसीडेंशियल आर्डर 1950 में संशोधन करते हुए उसमें हिन्दू, सिख एवं नव-बौद्ध के साथ मुस्लिम शब्द को भी जोड़े, जिससे केवल 0.8 परसेंट जनसंख्या वाले इस वर्ग को भी अपना शैक्षिक, आर्थिक एवं सामाजिक स्तर सुधारने का अवसर मिले, ताकि वे भी सम्मान से अपनी जिंदगी गुजार सकें और अन्य धर्म के दलितों की तरह मुख्य धारा में शामिल होकर राष्ट्र निर्माण में सहयोग दे सकें। शुक्रिया।